

निर्णय बड़जलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

मु.नं - 11/2024

प्रकरण संख्या 45/2024 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

GCMS No- 2024/181

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शहर सवाई माधोपुर।


.....प्राथी

श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा निवासी 12 जनपथ पुष्प के बालाजी, रणथम्भौर पी.जी. कॉलेज के सामने जिला सवाई माधोपुर

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

--: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी बैंक ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 15.11.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा निवासी 12 जनपथ पुष्प के बालाजी, रणथम्भौर पी.जी. कॉलेज के सामने जिला सवाई माधोपुर के स्वामित्व की चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन VENUE 1.5 CRDI MT-SX वाहन संख्या RJ45 CB1630 चेचिस नम्बर MALFD81DLNM397576 इंजन नम्बर D4FANM708271 निर्माता HYUNDAI MOTORS INDIA LTD. को हाईपोथिकेट कर कुल राशि 12,00,000 (बारह लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 03.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्राथी बैंक द्वारा दिनांक 03.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राथी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्राथी ऋणी की ओर से प्राथी बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन VENUE 1.5 CRDI MT-SX वाहन संख्या RJ45 CB1630 चेचिस नम्बर MALFD81DLNM397576 इंजन नम्बर D4FANM708271 निर्माता HYUNDAI MOTORS INDIA LTD. का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्राथी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 30-12-24 को सुनाया गया।


(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

